भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 275
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए सुविधाएं

275 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह यह जानकारी है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली महिला वकीलों में वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश न्यायालय परिसर विशेष रूप से अधीनस्थ स्तर पर महिला वकीलों और महिला वादियों के लिए उपलब्ध सुरक्षित निजी स्थानों और शौचालयों से सुसज्जित नहीं है;

(ख) क्या सरकार ऐसी सुविधाओं के सृजन के लिए कोई नीति लाने का इरादा रखती है ; और

(ग) क्या सरकार न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना में कोई संशोधन करने का इरादा रखती है ताकि विशेष रूप में महिला वकीलों और वादियों के लिए प्रावधान किए जा सकें ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा प्रकाशित ऐसा कोई डाटा न्याय विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है । तथापि, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर डाटा संकलित किया है, जिसके अनुसार 74% न्यायालय परिसरों में पृथक महिला शौचालय है जबकि 26% न्यायालय परिसरों में पृथक महिला शौचालय नहीं हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित होता है । राज्य सरकारों के संसाधनों के संवर्धन के लिए, संघ सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय और राज्यों के बीच विहित सहभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है, और इसे 2021-22 से 2025-26 तक 9,000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत केन्द्र का 5307 करोड़ रुपए का अंश भी है, के कुल बजटीय परिव्यय के साथ विस्तारित किया गया है । न्यायालय हॉल और आवासीय निवास के संनिर्माण के अतिरिक्त, स्कीम जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों में वकीलों के हॉलों, डिटिजल कंप्यूटर कक्षों और शौचालय परिसरों के संनिर्माण को भी कवर करती है ।

****